

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14.

विनय कुमार

भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529

मोबाईल नं0 : 9471006800

ई-मेल : policenigam@bihar.gov.in

संचिका सं0-स्था0/अपील-प्राधि0/17/2023/पु0नि0

दिनांक-.....2023

आदेश सं0 - 445/2023

मे0 युनिवर्सल एग्री कॅरपोरेसन लि0 की ओर से कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता-श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं0-20, बेगूसराय, बिहार-851101 द्वारा दिनांक-02.11.2023 को मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0-229/2023, सहपठित ज्ञापांक-एच0क्यू0 2203 दिनांक-22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-एच0क्यू0 2288, दिनांक-03.07.2023 के द्वारा उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0-19 से, निम्नांकित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी:-

क्रम सं0-19. जमुई जिलान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Barrack Accommodation building (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई-निविदा की कंडिका-35 में निम्न शर्तें अंकित थी :-

"35-निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022.23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-23.06.2022 से 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1785 दिनांक-23.06.2022 के द्वारा ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022.23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-29.06.2022 से 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1853 दिनांक-28.06.2022 के द्वारा पुनः ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022.23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-12.07.2022 से 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

7. उक्त ई-निविदा सूचना सं0-05/SBD/2022-23, क्रम सं0-19 जमुई जिलान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Barrack Accommodation building (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 09 संवेदकों के द्वारा यथा- युनिवर्सल एग्री कॅरपोरेसन लि0, 2. सुदेश कुमार सिंह एण्ड को कंस्ट्रू0 प्रा0 लि0, 3. मे0 एक्वेरियम कंस्ट्रूक्सन प्रा0 लि0, 4. अशोक एण्ड को निवास प्रा0 लि0, 5. कौशलेंद्र कुमार, 6. राना कंस्ट्रूक्सन, 7. गोपाल कुमार, 8. लाल रूपक कुमार सिंह, एवं 9. त्रिभुवन कंस्ट्रूक्सन के द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

8. युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा निविदा की शर्त सं०-35 के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ैया, कॉके, राँची 834006 द्वारा निर्गत पत्रांक-208/वेजफेड, राँची दिनांक-10.05.2022 समर्पित की गयी थी।

9. युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) निर्गत कार्यालय यथा-Managing Director, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, अरसण्डे, बोड़ैया, कॉके, राँची 834006 को निविदाकार युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, निबंधित डाक से प्रेषित निगम के पत्र सं०-SE 78 दिनांक-03.04.2023 के साथ-साथ ई-मेल से अनुरोध किया गया।

10. निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में प्रबंध निदेशक, वेजफेड, राँची, कार्यालय, दि झारखण्ड स्टेट आदिवासी को-ऑपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन लि० (वेजफेड), राँची, चतुर्थ तल, पशुपालन भवन, सिंह मोड़, हेसाग, हटिया, राँची 834003 ने दिनांक-20.04.2023 को अपराहन 02:02 बजे ई-मेल से भेजे गये पत्रांक-181/वेजफेड, राँची दिनांक-20.04.2023 के द्वारा सूचित किया कि " संवेदक-Universal Agro Corporation Ltd, Address-Shashi Place, Ramkrishna Nagar, Begusarai (Bihar)-851101 के सम्बंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में मांगी गई सूचना से संबंधित पत्र वेजफेड कार्यालय से निर्गत नहीं है।"

11. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता-श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं०-20, बेगूसराय, बिहार-851101, निदेशक श्रीमती वंदना कुमारी, पति-श्री पंकज कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार- 851129, निदेशक-श्रीमती रश्मि कुमारी, पति-श्री दीपक कुमार, वार्ड नं०-02, सिंहमा डीह, सिंहमा बरारी, बेगूसराय, बिहार -851129, निदेशक-श्री पियुष कुमार, पिता-श्री संजीव कुमार सिंह, शशि पैलेस, हेमरा रोड़, बेगूसराय, बिहार-851101 के द्वारा अपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० एवं कंपनी के सभी निदेशक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, दर्ज प्राथमिकी की संख्या-पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं०-96/2023 दिनांक-08.05.2023 है।

12. तत्पश्चात, अपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं०-229/2023, सहपठित ज्ञापांक-एच०क्यू० 2203 दिनांक-22.06.2023 से मे० युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० के निबंधन सं०-प्रथम 5/2021 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

13. पुनः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक-एच०क्यू० 2288, दिनांक-03.07.2023 के द्वारा मे० युनिवर्सल एग्रो कॉरपोरेशन लि० के निबंधन सं०-प्रथम 5/2021 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निविदा

अपलोड करने की अंतिम तिथि 21.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

14. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि

- (i) मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से दिनांक-18.05.2022 को निर्गत ई-निविदा सं0-05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30.06.2022 निर्धारित थी। इस ई-निविदा की कंडिका-8 के अनुसार निविदा की वैधता अवधि 120 दिन निर्धारित की गयी थी। निगम के पत्रांक-एचक्यू0 1785 दिनांक-23.06.2022 एवं पत्रांक-एचक्यू0 1853 दिनांक- 28.06.2022 से निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 07.07.2022 एवं पुनः 21.07.2023 निर्धारित की गयी, परन्तु निविदा वैधता की अवधि अपरिवर्तित रही।

उपर्युक्त एनआईटी के साथ-साथ सभी शुद्धि पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निविदा की वैधता केवल 120 दिन थी, जो 21.11.2022 के पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिसका अर्थ है कि यूनिवर्सल एग्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा 21.11.2022 को "अमान्य" हो गयी थी तथा इस तिथि के बाद यूनिवर्सल एग्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा विचारणीय नहीं थी और यूनिवर्सल एग्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

SBD के खंड-15.2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "असाधारण परिस्थितियों में, मूल समयावधि की समाप्ति से पहले, नियोक्ता अनुरोध कर सकता है कि निविदाकार एक निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए वैधता की अवधि बढ़ा सकते हैं। अनुरोध केवल द्वारा लिखित रूप में की जाएंगी। निविदाकार security deposit की राशि को जब्त किए बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। अनुरोध से सहमत होने वाले निविदाकार को अपनी निविदा को संशोधित करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी।"

यूनिवर्सल एग्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा SBD के उपर्युक्त खंड-15 के संदर्भ में निविदा वैधता अवधि की विस्तार के लिये कोई सहमति नहीं दी गयी थी। निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त दस्तावेजों का सत्यापन कानूनन सही नहीं है और वह भी याचिकाकर्ता की सहमति के बिना।

मुख्य अभियंता द्वारा blacklisting का आदेश कानूनन सही नहीं है, क्योंकि blacklisting की कार्रवाई निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद प्रारंभ की गयी है।

- (ii) Blacklisting के मूल आदेश को अनुवर्ती आदेश के द्वारा संशोधित करने हुये, blacklisting की अवधि 05 वर्ष निर्धारित करना, बिहार निबंधन नियमावली 2007 के तहत गलत है, blacklisting की निश्चित अवधि को कोई प्रावधान नहीं है।
- (iii) काली सूची में डालने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है, क्योंकि कंपनी को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है।
- (iv) कंपनी को 05 साल के लिये काली सूची में डालने की सजा आरोप के अनुपात में अप्रत्यानुपातिक है।

15. दिनांक-14.11.2023 को अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये। विद्वान अधिवक्ता श्री संजीत कुमार के माध्यम से उनकी उपस्थिति हुयी। उनकी ओर से वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान अलग से कोई बचाव या साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। बताया गया कि अपील आवेदन में सभी आयामों का उल्लेख किया गया है, उन्हें कारण पृच्छा

नोटिस नहीं मिला तथा आरोप के अनुपात में सजा अप्रत्यानुपातिक है। सुनवाई में अपील आवेदन की कंडिका-28 से 32 को देखने का अनुरोध किया गया।

16. अपीलकर्ता का यह कथन कि निविदा वैधता की अवधि की समाप्ति के उपरान्त blacklisting की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है, मान्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है।

अपीलकर्ता के निबंधन को आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये कालीकृत किया गया है। अपील में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य या सफाई प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कंपनी एवं निदेशकों के उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया। स्पष्ट है, अपीलकर्ता के द्वारा उपर्युक्त कंडिका में परिभाषित अपराध उस समय ही पूर्ण हो गया था, जिस समय निविदा के साथ छल करने के उद्देश्य से जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। कंपनी तथा इसके निदेशकों के द्वारा कारित उपर्युक्त अपराध का प्रभाव निविदा की वैधता अवधि से प्रभावित नहीं होता है और न ही निविदा अवधि की समाप्ति से कम या समाप्त हो जाता है।

17. अपीलकर्ता का यह कहना कि उनके निबंधन को काली सूची में डालने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन है, क्योंकि कंपनी को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है, भी सही नहीं है। इस संबंध में यूनिवर्सल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संबोधित मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक-एच0क्यू0 1875 दिनांक-01.06.2023 की अंतिम कंडिका का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो निम्नवत है:-

"अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आप स्पष्ट करे कि क्यों नहीं उक्त अपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं छल करने के आरोप में आपके यूनिवर्सल एग्रो कॉर्पोरेशन लि0 एवं कंपनी शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं0-20, जिला-बेगूसराय के निबंधन को निलंबित कर उसे काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाए।"

उपर्युक्त पत्र निबंधित डाक (स्पीड पोस्ट) से दिनांक-02.06.2023 को भेजा गया है, जिसका RF No. 300524434IN है। अपीलकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति से इन्कार करना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि डाकघर के द्वारा उपर्युक्त निबंधित डाक (स्पीड पोस्ट) निगम के कार्यालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश- 229/2023 दिनांक-22.06.2023 तथा ज्ञापांक-एच0क्यू0 2288 दिनांक-03.07.2023 को निर्गत किये जाने के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि कंपनी तथा उसके निदेशकों के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र असली (genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि कंपनी तथा उसके निदेशकों के द्वारा जानबूझ कर जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि कंपनी तथा उसके निदेशक मंडल

को उनके द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर कार्यावंटन हुआ था या नहीं तथा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कोई क्षति पहुँची या नहीं। गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने हेतु जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना ही कंपनी के गलत उद्देश्यों को प्रमाणित करता है तथा कंपनी को भविष्य में आमंत्रित किये जाने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित करने या अयोग्य करने का पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

18. अतः ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 के क्रम सं०-19, जमुई जिलान्तर्गत एस०सी०/एस०टी० एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Barrack Accommodation building (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये युनिवर्सल एग्री कॉरपोरेशन लि० को SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) के Clause 33 के तहत ई-निविदा सूचना सं०-05/SBD/2022-23 के क्रम सं०-19 के लिये निविदा दाखिल करने की तिथि से 5 साल के लिये बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम एवं किसी भी अन्य कार्य विभाग/निगम/प्राधिकार/अभिकरण/संस्था की निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाता है। निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय आदेश-229/2023 दिनांक-22.06.2023 तथा ज्ञापांक-एच०क्यू० 2288 दिनांक-03.07.2023 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक -2023

प्रतिलिपि:- मे० युनिवर्सल एग्री कॉरपोरेशन लि० की ओर से कंपनी के निदेशक श्री पंकज कुमार, पिता-श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, शशि पैलेस, रामकृष्णा नगर, हेमरा रोड़, वार्ड नं०-20, बेगूसराय, बिहार-851101 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक HA 4601/ पटना, दिनांक - 13/12 2023

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत

संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक Ha 4601 /

पटना, दिनांक - 13/12/2023

प्रतिलिपि:- श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक-सह-अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम